National Journal of Research and Innovative Practices (NJRIP)
Vol-4, Issue-8, 2019; ISSN: 2456-1355; http://www.edusanchar.com

झालरापाटन तहसील में प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन

सुनिता तिवारी / प्रो॰ सुषमा सिंह

Abstract (सारांश)

भारत में पायी जाने वाली व्यापक विविधता के आधार पर भारतीय शिक्षा में समावेशन की अवधारणा को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जहाँ पृथक् रूप में पहचाने गये छात्रों को शिक्षा में समावेशित करने के लिए अनेक प्रयास किये जाते हैं। इन शैक्षिक प्रयासों को ही समावेशन कहा जाता है। समावेशन के सन्दर्भ में अवसर एवं वंचना का आधार शारीरिक एवं सामाजिक वर्गीकरण को माना जाता है। ऐसे बालक समाज के सीमान्त या हाशिये पर होते हैं। इसमें वर्ग, जेण्डर तथ विशेष आवश्यकता वाले छात्र या बच्चे आते हैं। समाज में वर्गीकरण की परम्परा अनादि काल से चली आ रही है। कार्य, काल और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर समाज का वर्गीकरण नया नहीं है। विभिन्न प्रकार के बालक ऐसे होते हैं जो सामान्य से पृथक् होते हैं। ऐसे बालकों को परिभाषित करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। प्रत्येक प्रकार के पृथक्करण का अपना एक अलग वर्ग होता है; जैसे–अक्षम बालक, प्रतिभाशाली बालक, मानसिक मन्द बालक, विकलांग बालक आदि। यह वर्ग समाज में समावेशन की अवधारणा को उत्पन्न करते हैं। वास्तव में पृथक्करण की प्रक्रिया के बाद समावेशन की प्रक्रिया का आरम्भ होता है विभिन्न असमानताओं के आधार पर शिक्षा में विभिन्न प्रकार के पृथक्करण निर्धारित किये जाते है। यह पृथक्करण असमानता पर आधारित होता है। शारीरिक कारणों की असमानता के अतिरिक्त यह असमानता व्यक्तिगत एवं सामाजिक भी हो सकती है। इसी असमानता के आधार पर विशिष्ट वर्गों के बालकों के समायोजन की प्रक्रिया को समावेशन कहते हैं।

Keywords (संकेत शब्द) :- पृथक्करण, शैक्षिक, समावेशन, असमानता, अवधारण, समावेशी।

प्रस्तावना (Introduction):- समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है, जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मन्दबुद्धि, अन्धे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है।

समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक शैक्षिक स्तर की जाँच की जाती है, तत्पश्चात् उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। अतः यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है, जो कि विशिष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु ही निर्णारित की जाती है। अतः इसे समावेशी अथवा समवेशी शिक्षा को नाम दिया गया।

अतः पृथक् बालकों के समावेशन का स्वरूप एवं क्षेत्र का ज्ञान एक शिक्षक को पूर्ण रूप से होना चाहिये क्योंकि समावेशन के विभिन्न पक्षों का प्रबन्धन करना आवश्यक होता है, जिससे उसके सार्थक परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि समावेशित अधिगम में प्रत्येक बालक को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से

लाभ होता है। अतः भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में विविधताओं तथा असमानताओं के कारण विभिन्न प्रकार के समावेशन अग्रलिखित रूप में देखे जा सकते है–

कुछ शिक्षाविद् विशिष्ट शिक्षा के पक्षधर नहीं हैं। उनके अनुसार यह शिक्षा के अवसरों के समान नहीं तथा बालकों के विचारों से भिन्नता पैदा होती है। सामान्य कक्षाएँ अपंग बालकों में हीन भावना उत्पन्न करती है। कुछ ही समय पहले, मनावैज्ञानिकों ने विचार दिया है कि समावेशन शिक्षा हमारे सामान्य विद्यालयों में दी जाये जिससे सभी बालकों को शिक्षा के समान अवसर मिलें। शिक्षाविद् भी इस प्रकार की शिक्षा के पक्षधर हैं।

समावेशी विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति कैसी है? इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने के लिए शोधकार्य किया गया।

समस्या कथनः–झालरापाटन तहसील में प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन

Objective of the Study (अध्ययन उद्देश्य):-

1. समावेशी–शिक्षा के प्रति सरकारी एवं गैर सरकारी अध्यापकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

2. समावेशी–शिक्षा के प्रति सरकारी एवं गैर सरकारी अध्यापिकाओं की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

Review of Literature (साहित्य अवलोकन):–

1.समावेशी शिक्षा पर आधारित समप्रत्य के सन्दर्भ में श्रीमाली बी. एल. डबोक जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर ने (राज.) ''समावेशी शिक्षा'' के प्रति राजकीय व निजि विद्यालय के अध्यापकों के अभिमत जानने के लिए ''समावेशित शिक्षा के प्रति अध्यापकों का अभिमत'' विषय पर शोध किया है।

2.विद्यालयों में समावेशित शिक्षा के अन्तर्गत विशिष्ट विद्यार्थियों को भौतिक, स्वास्थ्य व शैक्षिक सुविधाएँ सीमित होने के कारण किस प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसके अध्ययन हेतु शोधकर्त्री डॉ. रचना राठौर/हर्षता राठौर ने जनजाति उपयोजना विद्यालयों में समावेशित शिक्षाः वस्तुस्थिति एवं चुनौतियाँ विषय पर शोध किया है।

3.भारतीय शिक्षकों के प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण और शिक्षको की समाावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारको की जाँच करने हेतु शोधकर्त्री डॉ. मिनाक्षी द्विवेदी ने प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृति का अध्ययन किया है।

Hypothesis (परिकल्पनाएँ):-

1. समावेशी शिक्षा के प्रति सरकारी एवं गैर सरकारी अध्यापकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

2. समावेशी शिक्षा के प्रति सरकारी एवं गैर सरकारी अध्यापकाओं की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्ययन का परिसीमनः–

1.अध्ययन केवल झालावाड़ जिले के झालरापाटन क्षेत्र में हुआ है।

2.अध्ययन में केवल प्राथमिक स्तर के अध्यापकों का चयन किया गया है।

3.अध्ययन केवल सरकारी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं पर ही किया गया है।

4.अध्ययन में केवल गैर सरकारी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को ही लिया गया है।

शोध विधिः–

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्शः– प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु उद्देश्यपूर्ण विधि द्वारा का झालरापाटन तहसील के 100 शिक्षकों का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया है। सर्वप्रथम झालरापाटन तहसील में स्थित गैर सरकारी एवं सरकारी विद्यालयों की सूची प्राप्त की गई। इन विद्यालयों के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को विभाजित किया गया।

इन दोनों सूचियों में पाँच–पाँच विद्यालयों का यचन यादृच्छिक विधि से किया गया। प्रत्येक विद्यालय से प्राथमिक स्तर के 20–20 अध्यापकों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया। प्रत्येक विद्यालय में 10 अध्यापक सरकारी तथा 10 अध्यापक गैर सरकारी थें।

इस प्रकार 100 अध्यापक जिसमें से 50 अध्यापक सरकारी विद्यालयों से है एवं 50 अध्यापक गैर सरकारी विद्यालयों से है तथा 100 अध्यापिकाएँ जिनमें से 50 अध्यापिकाएँ सरकारी विद्यालयों से है तथा 50 अध्यापिकाएँ गैर सरकारी विद्यालयों से है जिनका चयन यादृच्छिक विधि से किया गया।

समावेशी–शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को मापने के लिए 'स्वनिर्मित समावेशी–शिक्षा अभिवृत्ति मापनी का प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत शोध–कार्य में प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु मध्यमान मानक टी–मूल्य आदि सांख्यकीय विधियों से समूह के अन्तर तथा सार्थकता की जाँच 0.05 उच्च सार्थकता स्तर पर की गई है।

प्रदत्तों के विश्लेषण एवं व्याख्याः–

1.समावेशी–शिक्षा के प्रति सरकारी एवं गैर–सरकारी अध्यापकों की अभिवृत्ति में अन्तर नहीं होगा।

सारणी–1

समावेशी–शिक्षा के प्रति सरकारी एवं गैर सरकारी अध्यापकों की अभिवृत्ति का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी–मूल्य

वर्ग	अध्यापकों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	df	टी–मूल्य
सरकारी	50	96.7	8.6	98	5.57
गैर सरकारी	50	105.7	8.0		

सारणी–1 से स्पष्ट हे कि सरकारी एवं गैर सरकारी अध्यापकों की समावेशी–शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के प्राप्तांको का मध्यमान क्रमशः 96.7 व 105.7 तथा मानक विचलन 8.6 व 8.0 है यह स्पष्ट है कि अध्यापकों की समावेशी–शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति सकारात्मक है इसका ज०मान 5.67 है जो कि 0.05 स्तर सार्थक है। अतः कहा जा सकता है कि समावेशी–शिक्षा के प्रति सरकारी एवं गैर–सरकारी अध्यापकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है।

अतः कहा जा सकता है कि समावेशी–शिक्षा के प्रति सरकारी एवं गैर सरकारी अध्यापकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है। इस विवेचना के आधार पर परिकल्पना अस्वीकृत होती है .

2. समावेशी शिक्षा के प्रति सरकारी एवं गैर सरकारी अध्यापकाओं की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका–2

समावेशी–शिक्षा के प्रति सरकारी एवं गैर सरकारी अध्यापिकाओं की अभिवृत्ति का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी मूल्य–

वर्ग	अध्यापिकाओं की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	df	टी–मूल्य
सरकारी	50	98.1	7.7	98	4.68
गैर सरकारी	50	104.9	6.9		

सारणी–2 से स्पष्ट है कि सरकारी और गैर–सरकारी अध्यापिकाओं की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के प्राप्तांको का मध्यमान क्रमशः 98.1 व 104.9 तथा मानक विचलन क्रमशः 7.7 तथा 6.9 है। स्पष्ट है कि गैर सरकारी अध्यापिकाओं की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति की अधिक सकारात्मक है। इसका टी०मान 4.68 है जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक है। अतः कहा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा के प्रति सरकारी एंव गैर सरकारी अध्यापिकाओं की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि अध्यापिकाओं की समावेशी –शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सरकारी अध्यापिकाओं की तुलना में सकारात्मक है। इस विवेचना पर परिकल्पना अस्वीकृत होती है।

निष्कर्षः–

सारणी 1 एवं 2 से ज्ञात होता है कि सरकारी एवं गैर सरकारी अध्यापकों की समावेशी–शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है तथा गैर सरकारी अध्यापिकाओं का सरकारी अध्यापिकाओं की तुलना में सकारात्मक है। समावेशी–शिक्षा समाज की अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। पारिवारिक वैयक्तिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विशिष्ट बालक भी समाज का एक अभिन्न अंग होता है। समावेशी–शिक्षा से सम्बन्धित सुविधाओं से बालको को लाभ पहुँचेगा।

सुझावः– मानव–योनि में जन्म लेने के उपरान्त मानव को प्रकृति द्वारा प्राप्त समस्त प्रकार की सुविधाओं का उपभोग करने का अधिकार है।

प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का समावेशी–शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करने के लिए किया गया है ऐसा ही अध्ययन माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों पर किया जा सकता है प्रस्तुत शोध समावेशी केवल झालरापाटन तहसील में किया गया है ऐसा ही शोध अन्य तहसीलों में भी संभव है प्रस्तुत शोध समावेशी शिक्षा के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करने के लिए किया गया गया है ऐसा ही शोध समावेशी–शिक्षा के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति जानने के लिए किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूचिः–

(1) Indian Journal of Teacher Education Volume 01, Number 01, January 2015

(2) भारतीय शिक्षा शोध–पत्रिका, Teacher Education Voume 34, Number 02, July-Dec-2015

(3) Creating An Inclusive School

राधा प्रकाशन (प्रा०) लि०, सैक्टर–8 निकट केन्द्रीय कारागार, परशुरामपुरी ,नगला अजीता, आगरा–07 / 09 / 2016

(4) Teacher Education EDUCATION HERALD Voume 46, Number 01, Jan-March 2017

(5) एक समावेशी स्कूल बनाना, डॉ. संजय दत्ता,डॉ. विजय चन्द आचार्य, वैशाली पब्लिकेशन,

वैशाली नगर,जयपुर, नवीन संस्करण,--2017

(6) नई शिक्षा राष्ट्रीय मासिक पत्रिका वर्षः67, अंकः7, 28 फरवरी 2018, पृष्ठः28

(7) www.scribd.com

(8) www.researchgate.net/publication